गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 15.07.2020 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 15.07.2020 को प्रातः 11:00 बजे प्रशासनिक भवन के सभाकक्ष में संपन्न हुई, बैठक के प्रारंभ में कुलसचिव जी ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात् कुलपति महोदया की अनुमति से बैठक प्रारम्भ हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :–

1.	प्रो0 अंजिला गुप्ता, कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो0 ए.के. सक्सेना	सदस्य
3.	प्रो0 मनीषा दुबे	सदस्य
4.	प्रो0 एस.एस. सिंह	सदस्य
5.	प्रो0 जी.के. पात्रा	सदस्य
6.	प्रो0 मनीष कुमार श्रीवास्तव	सदस्य
7.	प्रो0 प्रतिभा जे. मिश्रा	सदस्य
8.	प्रो0 बी.एन. तिवारी	सदस्य
9.	प्रो0 व्ही.एस. राठौर	सदस्य
10.	प्रो0 डी.एन. सिंह	सदस्य
11.	प्रो0 टी.व्ही. अर्जुनन	सदस्य
12.	प्रो0 पी.के. बाजपेयी	सदस्य
13.	प्रो0 ए.एस. रणदिवे	सदस्य
14.	प्रो0 एल.पी. पटैरिया	सदस्य
15.	प्रो0 एम.के. सिंह	सदस्य
16.	प्रो0 शैलेन्द्र कुमार, कुलसचिव (कार्यवाहक)	सचिव

निम्नानुसार सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके :–

1. प्रो0 एम.व्ही.के.एस. भास्कर

निम्नलिखित विषयों पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

विषय क्र. 01 विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 19.06.2020 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 19.06.2020 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।

विषय क्र. 02 VRET 2019-20 के संबंध में जारी दिशा–निर्देश पर विचार।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि जारी दिशा–निर्देशों की पुष्टि निम्नानुसार संशोधनों के साथ की एवं यह भी निर्णय लिया कि साक्षात्कार का आयोजन अवकाश दिवसों (शनिवार एवं रविवार) में भी कराया जा सकता है–

साक्षात्कार दो चरणों में आयोजित की जाय प्रथम चरण 21.07.2020 से 27.07.2020 एवं द्वितीय चरण 28.07.2020 से 05.08.2020.

परिणामों की घोषणा दिनांक 06.08.2020 से 11.08.2020 तक किया जाय।

ऑन लीईन प्रवेश तथा ऑन लाईन शुल्क जमा कराने की प्रक्रिया दिनांक 17.08.2020 से 24.08.2020 तक पूरी की जाय।

चयनित विद्यार्थियों की कक्षायें दिनांक 01.09.2020 से प्रारम्भ की जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि अस्थायी रूप से प्रवेश प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों से अस्थायी प्रवेश संबंधी शपथ पत्र प्राप्त कर लिया जाय। शपथ पत्र का मसौदा अकादमिक शाखा द्वारा प्रारूपित कर प्रसारित कर दिया जाय। कोविड–19 के कारण उत्पन्न परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदकों को स्थानांतरण प्रमाण पत्र (TC), प्रवज्जन प्रमाण पत्र (Migration Cirtificate) एवं डिग्री प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने से अल्प अवधि के लिए छूट दी जा सकती है।

विषय क्र. 03 **B.P.Ed. एवं M.P.Ed. के छात्रों के ATKT परीक्षा आयोजन संबंधी प्रस्ताव पर विचार।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि B.P.Ed. एवं M.P.Ed. के छात्रों के द्वितीय सेमेस्टर की ATKT परीक्षा का आयोजन प्रस्तावानुसार करा लिया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि ATKT परीक्षा का आयोजन केवल अंतिम सेमेस्टर में अध्ययनरत् विद्यार्थियों का कराया जाय, ताकि इनके परिणाम घोषित किया जा सके। मध्यवर्ती सेमेस्टर में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की ATKT परीक्षा का आयोजन न किया जाय।

विषय क्र. 04 **COVID-2019 से जन्य परिस्थितियों के कारण परीक्षा एवं अकादमिक गतिविधियों के संबंध में गठित समिति के कार्यवृत्त दिनांक 26.06.2020 पर विचार।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने कार्यवृत्त दिनांक 26.06.2020 का अनुमोदन किया तथा कार्यवृत्त में लिये गये निर्णयों के अनुसार कार्यवाही कराये जाने का निर्णय लिया गया।

विषय क्र. 05 **COVID-2019 से जन्य परिस्थितियों के कारण परीक्षा एवं अकादमिक गतिविधियों के संबंध में गठित समिति के कार्यवृत्त दिनांक 13.07.2020 पर विचार।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि निम्नानुसार आंशिक संशोधन के साथ कार्यवृत्त का अनुमोदन किया जाय :–

पैरा–1ई में Failed शब्द को विलोपित कर दिया जाय तथा इसके बाद लिखे हुए कोष्टक को हटा दिया जाय। साथ ही साथ पैरा–1ई के द्वितीय परन्तुक में and passed शब्द को हटाकर wants to improve his/her performance जोड़ दिया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि यूजीसी द्वारा जारी एस.ओ.पी. के संबंध में अधिष्ठाताओं, परीक्षा नियंत्रक, उप–कुलसचिव(परीक्षा) एवं अधिष्ठाता छात्रकल्याण के द्वारा विश्वविद्यालय के अनुकुल योजना प्रारूपित करते हुए प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय।

विषय क्र. 06 **शैक्षणिक सत्र 2020–21 के प्रारम्भ तिथि एवं ऑनलाईन कक्षाओं के लिए सॉफ्टवेयर क्रय पर विचार।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि मध्यवर्ती सेमेस्टर में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की कक्षायें दिनांक 17 अगस्त 2020 से प्रारम्भ की जाय। स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि मध्यवर्ती सेमेस्टर के विद्यार्थियों की आंतरिक मूल्यांकन संबंधी परीक्षायें 01 अगस्त से 14 अगस्त, 2020 की अवधि में करा लिया जाय।

स्थायी समिति ने यह और भी निर्णय लिया कि ऑन लाईन परीक्षायें कराने एवं ऑन लाईन कक्षायें संचालित करने के लिए नये सॉफ्टवेयर क्रय किये जाने की आवश्यक कार्यवाही की जाय। समिति नये सॉफ्टवेयर क्रय करने हेतु सैद्धांतिक रूप से सहमत है।

विषय क्र. 07 **शोधार्थियों द्वारा प्रस्तुत शोध सारांश एवं शोध ग्रंथ मूल्यांकन हेतु बाह्य एवं आंतरिक परीक्षकों को ई–मेल के माध्यम से भेजे जाने की सूचना ग्रहण करना।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरणों पर विचार

अ.अ.वि.क्र.1 स्थायी समिति ने VET 2020–21 में विज्ञापित पाठ्यक्रमों के प्रवेश प्रक्रिया संबंधी प्रस्ताव पर चर्चा की एवं विचार किया।

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि शैक्षणिक सत्र 2020–21 से बी.कॉम ऑनर्स की सीटें 150 से बढ़ाकर 240 कर दी जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि प्रवेश प्रक्रिया एवं तिथियों के निर्धारण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव के बिन्दु क्रमांक 3 से लेकर 9 पर चर्चा हेतु अधिष्ठाताओं, परीक्षा नियंत्रक, उप–कुलसचिव(परीक्षा) एवं अधिष्ठाता छात्रकल्याण की परीक्षा एवं अकादमिक कार्य हेतु गठित समिति की बैठक आहुत की जाय एवं प्रस्ताव प्रारूपित कराया जाय।

अ.अ.वि.क्र.2 स्थायी समिति ने अंतिम सेमेस्टर की एटीकेटी परीक्षाओं एवं सेमेस्टर परीक्षाओं के आयोजन हेतु प्रस्तावित दिशा–निर्देशों पर विचार किया तथा निर्णय लिया कि प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय तथापि अधिष्ठाताओं, परीक्षा नियंत्रक, उप–कुलसचिव(परीक्षा) एवं अधिष्ठाता छात्रकल्याण की परीक्षा एवं अकादमिक कार्य हेतु गठित समिति के द्वारा यदि आवश्यक संशोधन सुझाये जाते है तो उन्हें उक्त दिशा–निर्देशों में शामिल कर लिया जाय।

उपस्थित सदस्यों एवं अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक संपन्न हुई।

कुलसचिव (प्रभारी) / सचिव **कुलपति / अध्यक्ष**